

10.10.2023:-पत्रावली आज वादी अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र पर पेशी मे लिया गया। प्रार्थना पत्र शामिल किया गया। वादी अधिवक्ता द्वारा वादी ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण घर परिवार व समाज के समझाने पर वादीगण व प्रतिवादीगण मे आपसी राजीनामा हो गया है। इस कारण वादीगण अपना वादपत्र आगे नही चलाना चाहता। इस कारण पत्रावली को आज ही पेशी मे लिया जाकर पत्रवाली वाद वादीगण विद्वा के आदेश फरमाया जावे। वादीगण अधिवक्ता को उक्त प्रार्थना-पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन फर्द अहकाम पर वादीगा के हस्ताक्षर करवाये गये। वादीगण कि पहचान वादीगण अधिवक्ता द्वारा कि गई। उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त वादीगण वादपत्र मौजूदा सूरत मे खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफ्तर हो।



सहायक कलक्टर

एवं उपखण्डाधिकारी

हनुमानगढ

